प्रेषक

जिला नगर योजनाकार,
सिरसा।

सेवा में,

प्रधान,
एम0बी0 ऐजुकेशन सोसाईटी,
ऐलनाबाद ।

यादि क्रमांक: SA/DTP-P/1236 दिनांक: 03/04/2017

विषयः– **अनापति प्रमाण पत्र प्रदान करने बारे – हरियाणा स्कूल/कालेज ऑफ नर्सिंग एंव हरियाणा कालेज ऑफ ऐजुकेशन, ऐलनाबाद।**

हवालाः– आपके आवेदन दिनांक 03.04.2017 के संदर्भ में।

विषयक संदर्भ मे आप द्वारा आवेदन पत्र में वर्णन अनुसार कार्यालय अभिलेख का अध्ययन किया गया तथा पाया गया कि गांव ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा के खसरा न0 304//2/1,2/2,1/1,1/2,303//4,5,3/2 कुल भूमि 32 कनाल 12 मरले भूमि जोकि विभाग द्वारा किसी भी नियंत्रित क्षेत्र में नही पड़ने व स्थल शहरी क्षेत्र में पड़ने के कारण स्कूल ऑफ नर्सिंग के भवन को विकसित करने बारे इस विभाग से वरिष्ठ नगर योजनाकार,हिसार परिमण्डल,हिसार के यादिकमांक 161–64 दिनांक 09.01.2008 अनुसार अनापति प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया हुआ है एंव अनुमति उपरांत मौके पर शिक्षण भवन विकसित हो चुका है। वर्तमान में भी स्थल की विभागीय सूचना यथावत् है।हवालाधीन प्रतिवेदन में वर्णन अनुसार यदि आवेदक संस्था खसरा न0 304 //2/1(7–8),2/2(0–12) रकबा 8 कनाल 0 मरले का 50/160 भाग बाकदर रकबा 2 कनाल 10 मरले तथा खसरा न0 304//1/1(6–0),1/2(1–12) बाकदर रकबा 7 कनाल 12 मरले का 50/152 भाग 2 कनाल 10 मरले कुल रकबा 5 कनाल 0 मरले में हरियाणा कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन के प्रयोग में लाना चाहती है तो विभाग द्वारा पूर्व में वरिष्ठ नगर योजनाकार ,हिसार कार्यालय द्वारा दर्शाई गई शर्ते अनुसार इस विभाग को कोई अनापति नही है।

जिला नगर योजनाकार,
सिरसा।

प्रेषक

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल,हिसार।

सेवा में

उपायुक्त,
सिरसा ।
यादि कमांक:
दिनांक:

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बारे --हरियाणा स्कूल ऑफ नर्सिंग ऐलनाबाद मार्फत एम·बी·एजुकेशन सोसायटी ऐलनाबाद ।

हवाला: जिला नगर योजनाकार, सिरसा के यादि कमांक 6297-98 दिनांक 06-12-2007 के सन्दर्भ मे।

अवगत करवाया जाता है कि जिला नगर योजनाकार, सिरसा कार्यालय से हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत प्राप्त रिपोंट अनुसार उपरोक्त सोसायटी द्वारा गांव ऐलनाबाद तह0 ऐलनाबाद, जिला सिरसा के ख0 न0 304//2/1,2/2,1/1,1/2,303//4,5,3/2 कुल भूमि 32 कनाल 12 मरला में स्कूल ऑफ नर्सिंग हेतु भवन बनाया जाना है । प्राप्त विवरण अनुसार आवेदित स्थल इस विभाग द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र ऐलनाबाद के अन्दर पड़ता है तथा वर्तमान समय में किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र से बाहर पड़ता है । जिला नगर योजनाकार, सिरसा से हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत प्राप्त रिपोंट अनुसार विषयक केस में शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7(1) की उल्धना नहीं होती है । आवेदित स्थल ऐलनाबाद-हनुमानगढ़ सड़क पर पड़ता है । इस सड़क पर पहुंच बारे कार्यकारी अभियन्ता, प्रोविन्शियल डिविजन न0 2, सिरसा के पत्र क0 3534 दिनांक 22-11-2007 के अन्तर्गत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की हुई है । अतः प्राप्त रिपोंट एवं दस्तावेजों के मध्यनजर विषयक स्थल पर उपरोक्त सोसायटी द्वारा स्कूल ऑफ नर्सिंग हेतु भवन बनाने पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्टस एवं धाराओं से छूट प्रदान नही करता है ।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवं कानून लागू होंगे ।
3. विकास शुल्क एवं अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर अन्दर देय होगी ।
4. आवेदित स्थल पर निर्माण आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग से अनुमति एवं आपके कार्यालय से यथार्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
5. आवेदित स्थल से सम्बन्धित पहुंच एवं दूरियां सम्बन्धित विभाग द्वारा चैक एवं वैरिफाई किए जाएंगे ।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किए जाने की हालात में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने आप रद्द हो जाएगा ।

वरिश्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल,हिसार।

पृ0 कमांक 164
दिनांक 9/1/08

प्रति निम्नलिखित को सुचनार्थ एवम् आव यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

1- वरिष्ठ नगर योजनाकार, ई एण्ड वी, हरियाणा, चण्डीगढ।
2- जिला नगर योजनाकार, सिरसा को हवालाधीन पत्र के संदर्भ में ।
3- एम बी एजुकेशन सोसायटी, ऐलनाबाद,जिला सिरसा।

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल,हिसार।